

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 280000/- (दो लाख अस्सी हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलापदाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एम. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्लता का खौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० निजाम, मो० मेराजुदीन, पि० वर्ग	श्रीमती नाजमा खातून (पत्नी)	142/23.02.18	ग्रा०-नरही चाँदी, था०-चाँदी, प्र०-कोईलवर, भोजपुर, आरा	70241700035962	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, चाँदी, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण के व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० प्रमोद साह, 21, स्व० छिकन साह उर्फ रूदल साह, पि० वर्ग	श्रीमती काजल देवी (पत्नी)	143/23.02.18	ग्रा०+पो०-सरैया, था०-कृष्णागढ़, प्र०-बड़हरा, भोजपुर, आरा	5259810004711	बैंक ऑफ बड़ौदा, महावीर टोल, आरा BARBOMAHBH0	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० अखिलेश्वर शर्मा, स्व० नर्वेश्वर शर्मा, पि० वर्ग	श्रीमती उर्मिला कुर्वर (पत्नी)	144/23.02.18	सा०-चक्रियाँ, पो०-अनाईट, था०+प्र०-उदवंतनगर, भोजपुर, आरा	74790100019996	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, गोहना, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बड़ईगिरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० अमीत कुमार, श्रीमंत नरायण सिंह, पि० वर्ग	श्रीमती मनीता मणी (पत्नी)	145/23.02.18	ग्रा०+पो०-तेन्दुनी, था०+प्र०-जगदीशपुर, भोजपुर, आरा	00068100012623	बैंक ऑफ बड़ौदा, जगदीशपुर, BARBOJAGDIS	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पशुपालन के व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० रास बिहारी पासवान, स्व० भारोसा पासवान, अनु० जाति	श्रीमती फुल कुमारी देवी (पत्नी)	146/23.02.18	ग्रा०-कोल्हरामपुर, पो०-पचरूखिया, था०+प्र०-बड़हरा, भोजपुर, आरा	74411700000235	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बबुरा PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मनरेगा मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० दिलिप सिंह, 58, स्व० मिर्चू सिंह, पि० वर्ग	श्रीमती बूचो देवी (पत्नी)	147/23.02.18	ग्रा०+पो०-कसाप, था०+प्र०-उदवंतनगर, भोजपुर, आरा	70490100018945	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कसाप, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पट्टा मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० मंगर राम, 62, स्व० शिव मॉदिल, अनु० जाति	श्रीमती कोमनी देवी (पत्नी)	148/23.02.18	ग्रा०-सिरकी चक, पो०+था०+प्र०-संदेरा, भोजपुर, आरा	396302130000481	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संदेश UBIN0539635	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 280000/-

(दो लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-39/2015 के पृष्ठ-42/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015 **पटना, दिनांक :-**

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015 **पटना, दिनांक :-**

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015 **पटना, दिनांक :-**

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 280000/- (दो लाख अस्सी हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015 **पटना, दिनांक :-**

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015 **पटना, दिनांक :-**

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को उनके पत्रांक 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 दिनांक 23.02.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015-137

पटना, दिनांक :- 27-03-18

प्रतिलिपि :- आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/03/18

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

27/03/18

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

27/03/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।